महोबा पुलिस

दिनांक- 08.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 31/26

सर्किल चरखारी- थाना चरखारी

पुलिस मुठभेड़ में ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी के अन्तर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, 03 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित 03 संदिग्ध ट्रैक्टर बरामद, 02 अवैध तमंचे व 04 कारतूस बरामद...

संक्षिप्त विवरण- दिनांक- 01.05.2026 को थाना चरखारी क्षेत्र अन्तर्गत मोहल्ला रायनपुर निवासी दीनदयाल पुत्र भान सिंह के द्वारा थानाहाजा में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि दिनांक- 30.04.2026 की रात्रि में उसका ट्रैक्टर मय ट्राली के अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना चरखारी में मु.अ.सं. 72/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा उक्त चोरी की घटना का संज्ञान लिया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी, जनपदीय स्वॉट एवं सर्विलांश के साथ पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीमों ने घटना के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर दिनांक- 07/08.05.2026 की रात्रि में पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की तलाशी एवं अपराध नियंत्रण हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 30.04.2026 को कस्बा चरखारी से चोरी की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को बेचने के उद्देश्य से कुछ बदमाश गुढ़ा से पनवाड़ी होते हुए मध्यप्रदेश की ओर जाने वाले हैं तथा उनके पास अवैध हथियार भी हैं।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गौरहारी व भटेवरा कलां के बीच स्थित टूटी पुलिया के पास घेराबंदी कर एम्बुश लगाया गया। कुछ समय पश्चात संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली आती दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर बदमाश ट्रैक्टर छोड़कर भागने लगे तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचों से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गये, इस दौरान 02 घायल अभियुक्तों सहित कुल तीन अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान—

1. गजेन्द्र बघेल पुत्र पानसिंह निवासी ग्राम गौसपुर थाना सरायछोला जनपद मुरैना (म0प्र0) (पुलिस मुठभेंड में घायल)
2. रंजीत बघेल पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गौसपुर थाना सरायछोला जनपद मुरैना (म0प्र0) (पुलिस मुठभेंड में घायल)
3. रविन्द्र बघेल पुत्र रामप्रसाद निवासी सिद्धनगर कॉलोनी थाना कोतवाली मुरैना (म0प्र0)

के रूप में हुई।

अभियुक्तों के कब्जे से हुई बरामदगी का विवरण-

- चोरी का ट्रैक्टर महिन्द्रा 475 DI मय ट्रॉली
- 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 मोबाइल फोन
- नगद रुपये बरामद किये गये।
- 03 संदिग्ध ट्रैक्टर बरामद

जिसमें से 02 ट्रैक्टर आयसर कम्पनी व 01 ट्रैक्टर सौनालिका कम्पनी का

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्होंने दिनांक 30.04.2026 की रात्रि में चरखारी क्षेत्र से उक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी की थी तथा उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम गुढ़ा स्थित एक बाग से तीन अन्य संदिग्ध ट्रैक्टर भी बरामद किये गये, जिन्हें आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने पर धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।

घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु सीएचसी चरखारी भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल महोबा रेफर किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

इस संबंध में थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 83/2026 धारा 109(1)(पुलिस मुठभेड़)/352/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। साथ ही पूर्व में दर्ज मु0अ0सं0 72/2026 धारा 303(2) बीएनएस में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं, जिनके द्वारा अन्य अपराध कारित करने की प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है, सभी अभियुक्तों के आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए म.प्र. पुलिस से पत्राचार किया जा रहा है । प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना चरखारी पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह

2. व0उ0नि0 रमेश कुमार यादव 3. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह 4. उ0नि0 मलखान सिंह 5. उ0नि0 विशाल वाजपेई

6. हे0कां0 श्याम किशोर 7. हे0कां0 दिनेश सिंह 8. कां0 राजेश सिंह 9. कां0 नरेन्द्र बाबू

10. कां0 नन्दलाल पटेल 11. कां0 संदीप कुमार 12. कां0 पंकज कुमार

जनपदीय स्वॉट/सर्विलांश पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी

2. कं.ऑ. अभिषेक वर्मा 3. कां0 दीपक वर्मा 4. कां0 रंजीत सिंह

5. कां0 निर्भय सिंह 6. कां0 सत्यम सिंह जादौन 7. कां0 कुलदीय यादव

महोबा पुलिस

दिनांक- 08.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 32/26

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन में "शुक्रवार की परेड" की सलामी लेकर किया गया निरीक्षण, अनुशासन व एकरूपता पर दिया गया विशेष बल...।

आज दिनांक 08.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित "शुक्रवार की परेड" की सलामी ली गई। इस परेड का उद्देश्य पुलिस बल में अनुशासन, एकरूपता, शारीरिक दक्षता एवं टीम भावना को और अधिक सुदृढ़ करना रहा।

परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की ड्रिल का गहन निरीक्षण किया गया। कदमताल, ड्रिल मूवमेंट, टर्नआउट एवं एकरूपता की बारीकी से समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

परेड में जनपद महोबा के विभिन्न थानों एवं शाखाओं में नियुक्त पुलिसकर्मियों ने सहभागिता करते हुए अनुशासन एवं समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

परेड उपरांत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आदेश कक्ष में उपस्थित होकर गार्द रजिस्टरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ड्यूटी व्यवस्था, गार्द डिटेल एवं अभिलेखों के रखरखाव की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता, समयबद्धता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि नियमित परेड से पुलिस बल में अनुशासन, एकजुटता, शारीरिक फिटनेस एवं कार्यकुशलता का विकास होता है, जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं आमजन को बेहतर एवं प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

महोबा पुलिस

दिनांक- 08.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 33/26

पुलिस अधीक्षक महोबा की उपस्थिति में मुकदमाती मादक पदार्थों का निस्तारण उपरान्त इंसीनरेटर मशीन द्वारा विनष्टीकरण, पुलिस लाइन महोबा में सम्पन्न...।

मादक पदार्थों के निस्तारण एवं विनष्टीकरण के संबंध में निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 08.05.2026 को पुलिस लाइन महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह (अध्यक्ष) एवं नामित समिति के अन्य सदस्यगणों की उपस्थिति में जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत मुकदमों से संबंधित मादक पदार्थों का विधिवत निस्तारण एवं विनष्टीकरण किया गया।

इस दौरान विनष्टीकरण समिति के समक्ष नियमानुसार समस्त मुकदमाती मादक पदार्थों को प्रस्तुत कर उनका सत्यापन एवं तौल मशीन से मापन कराया गया, जिसके उपरांत उन्हें इंसीनरेटर मशीन के माध्यम से सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया गया। विनष्टीकरण की कार्यवाही के अंतर्गत 17.9 किलोग्राम गांजा तथा 16 ग्राम 31 मिलीग्राम स्मैक सहित कुल 17 किलोग्राम 916 ग्राम 31 मिलीग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया।

उक्त संपूर्ण प्रक्रिया जनपद स्तरीय मादक पदार्थ विनष्टीकरण समिति की देखरेख में संपन्न कराई गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी उपस्थित रहे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी कराई गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा इस अवसर पर निर्देशित किया गया कि भविष्य में भी मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए नियमानुसार उनके त्वरित निस्तारण एवं विनष्टीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे समाज में नशे के दुष्प्रभावों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

महोबा पुलिस

दिनांक- 08.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 34/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी व विधिक कार्यवाही पर दिया गया विशेष बल...।

आज दिनांक 08.05.2026 को जनपद महोबा की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा (नोडल अधिकारी) की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान गुमशुदा/अपहृत बालक/बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी, मेडिकल परीक्षण, धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के समक्ष प्रस्तुतिकरण, पॉक्सो एक्ट, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रारूप (क) एवं (ख) के अनुपालन सहित विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि—

- गुमशुदा बच्चों से संबंधित प्रकरणों में त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- मेडिकल परीक्षण, बयान एवं CWC के समक्ष प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया समयबद्ध एवं विधिसम्मत रूप से पूर्ण की जाए।
- पॉक्सो एक्ट, बंधुआ मजदूरी एवं अनैतिक देह व्यापार से संबंधित मामलों में कठोर एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित की जाए।
- किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप (क) एवं (ख) का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए।
- विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं का समय रहते निराकरण कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए।

गोष्ठी में जिला बाल कल्याण समिति महोबा, चाइल्ड लाइन महोबा, श्रम विभाग महोबा, सखी वन स्टॉप सेंटर महोबा, जिला प्रोबेशन कार्यालय महोबा, जी.आर.पी. महोबा, किशोर न्याय बोर्ड महोबा, स्वास्थ्य विभाग महोबा, अभियोजन कार्यालय महोबा के प्रतिनिधियों सहित प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, प्रभारी एसजेपीयू, प्रभारी महिला थाना एवं जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

दिनांक- 08.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 35/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस टीम ने

हत्या की घटना में वांछित 10-10 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

थाना खरेला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चन्दौली में सजातीय एवं एक ही गांव के दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष के 02 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान एक व्यक्ति की दुःखद मृत्यु हो गई।

प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरेला पर मु0अ0सं0 22/2026 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/191(3)/190/109/352 बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारीगण द्वारा मय फील्ड यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

गठित पुलिस टीम द्वारा हत्या के 06 नफर वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है —

1. सन्तोष राजपूत पुत्र स्वामीदीन राजपूत उम्र करीब 46 वर्ष
2. नन्दकिशोर राजपूत पुत्र स्वामीदीन राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष
3. प्रवीन उर्फ मुन्ना राजपूत पुत्र सन्तोष सिंह राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा
4. उमेश रैकवार पुत्र अवधेश रैकवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कोनिया थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
5. कपिल यादव पुत्र रामसजीवन उर्फ खिल्लू, उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम इमलियाडांग थाना चरखारी जनपद महोबा
6. कुलदीप यादव पुत्र रमाशंकर यादव, उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मवइया थाना अजनर जनपद महोबा

को गिरफ्तार कर नियमानुसार जेल भेजा गया था। शेष वांछित/फरार व पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा घटना में संलिप्त 10-10 हजार रुपये के इनामी 02 नफर वांछित अभियुक्तगण—

1. मानसिंह राजपूत पुत्र नथुआ राजपूत निवासी ग्राम चंदौली थाना खरेला जिला महोबा
2. रामकिशन राजपूत पुत्र चुनटाई राजपूत निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जिला महोबा

को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 07.05.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.प्रभारी निरीक्षक श्री नन्हेलाल
2.व0उ0नि0 शिवदान सिंह 3.उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह थाना
4.कां0 दीपक कुमार मौर्य 5.कां0 अनिल सोनकर

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. मानसिंह राजपूत पुत्र नथुआ राजपूत निवासी ग्राम चंदौली थाना खरेला जिला महोबा
2. रामकिशन राजपूत पुत्र चुनटाई राजपूत निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जिला महोबा

महोबा पुलिस

सर्किल - चरखारी

दिनांक- 08.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 36/26

अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत महोबा में स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल, अग्नि सुरक्षा को लेकर किया गया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित...।

आज दिनांक 08.04.2026 को श्री शशांक सिंह, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत एवं ग्रीष्म ऋतु में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री महेन्द्र सिंह के नेतृत्व में अग्निशमन टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरेला, चरखारी तथा श्रीनगर जनपद महोबा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

इस दौरान स्वास्थ्य केंद्रों के स्टाफ एवं उपस्थित लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए अग्निशमन यंत्रों के सही एवं प्रभावी उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही आग लगने की स्थिति में त्वरित एवं सुरक्षित प्रतिक्रिया देने के उपायों का प्रदर्शन कर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

अग्निशमन विभाग द्वारा यह संदेश दिया गया कि विशेषकर गर्मी के मौसम में थोड़ी सी असावधानी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए सभी संस्थानों एवं नागरिकों को सतर्क रहते हुए अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक है।

महोबा पुलिस एवं अग्निशमन विभाग द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे जनपद में अग्नि सुरक्षा के प्रति सजगता एवं तैयारी को और सुदृढ़ किया जा सके।